कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 20.05.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय अलीगढ़ के सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने विभिन्न प्रजाति के कुल 36 वृक्षों जिनमें सागौन के 15, नीम के 06, सेमल के 04, पापड़ी के 04, प्रोसोपिस का 01, पीपल के 02, पिलखुन का 01, लबेड़ा का 01, बेल का 01 व शहतूत का 01 के पातन के लिये नियमानुसार पुनः नीलामी की कार्यवाही दिनांक **28.05.2025** को सायं **04:30** बजे जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी। उक्त अयोग्य वृक्षों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM** से **03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। बतौर जमानत धनराशि **मु० 15,000/- रूपये** नीलामी की तिथि को **11:00 PM से 02:00 PM** तक जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना **आधार कार्ड / पहचान पत्र** व **स्वप्रमाणित फोटो** की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय **मूल दस्तावेज** लेकर आना अनिवार्य होगा। उक्त नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तों की अधिक जानकारी जनपद न्यायालय, अलीगढ़ की अधिकृत बेवसाइट **https://aligarh.dcourts.gov.in** एवं शासकीय बेवसाइट **https://aligarh.nic.in** के माध्यम से व केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, अलीगढ़ से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांकः- 20.05.2025

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जनपद न्यायालय, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
3. वाह्य न्यायालयों एवं ग्राम न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. सिविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
6. नगर निगम, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनें हेतु।
7. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला पंचायत, अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1607/Admin. (B-I) Sec. dated: Allahabad: May 10, 2024 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशानुसार शासनादेश सं० 562/19-02-2007-1007/74(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप उक्त विज्ञप्ति/सूचना का प्रकाशन अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले कम से कम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को https://aligarh.nic.in की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर्स को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति / सूचना को जिला न्यायालय, अलीगढ़ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(सुभाष चन्द्रा-VIII)
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़।

सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण / क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने कुल 36 वृक्षों के पातन हेतु नीलामी समिति की बैठक दिनांकित 17.05.2025 का कार्यवृत्त ।

जनपद न्यायालय अलीगढ़ के सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने विभिन्न प्रजाति के कुल 36 वृक्षों जिनमें सागौन के 15, नीम के 06, सेमल के 04, पापड़ी के 04, प्रोसोपिस का 01, पीपल के 02, पिलखुन का 01, लबेड़ा का 01, बेल का 01 व शहतूत का 01 के पातन के लिये नियमानुसार नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 17.05.2025 को सायं 05:00 बजे नीलामी समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में समिति के सदस्यगण श्री राकेश वशिष्ठ, अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03, अलीगढ़ एवं श्री संजय कुमार यादव-I, विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), अलीगढ़ उपस्थित आये । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय नाजिर एवं द्वितीय सहायक नाजिर मय अभिलेख उपस्थित रहे ।

समिति द्वारा प्रभारी अधिकारी नजारत के पत्र दिनांकित 15.05.2025 पर मा० जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 15.05.2025 पर विचार-विमर्श किया गया । उक्त पत्र में दिये गये विवरणानुसार, नीलामी की तय शर्तों का पालन न करने की दशा में श्री असलम शाहिद को किया गया **नीलामी आवंटन आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 15.05.2025 द्वारा निरस्त हो चुका है** एवं उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि रू० 15,000/- चालान संख्या DT64844 दिनांकित 29.04.2025 के माध्यम से सम्बन्धित लेखाशीर्षक में पूर्व में ही जमा की जा चुकी है । **जिसे जब्त करते हुए उसे आगामी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अग्रिम आदेश तक Blacklist (प्रतिबन्धित) कर दिया गया है ।** उक्त पत्र के माध्यम से सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/ क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने **विभिन्न प्रजाति के कुल 36 वृक्षों के पातन के लिये नियमानुसार पुनः नीलामी कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 15.05.2025 से स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण नीलामी समिति को सन्दर्भित किया गया है ।**

उक्त नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 27/6 22-1 अलीगढ़ दिनांकित फरवरी 14, 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (संलग्नक-1) के अनुसार, क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा मौके की जाँच की गयी । जाँच रिपोर्ट के अनुसार, जनपद अलीगढ़ में सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य के अन्तर्गत **परिसर में विभिन्न प्रजाति के खड़े बाधित परिसम्पत्ति वृक्ष जो वास्तव में बाधक हैं ।** विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का **न्यूनतम कुल मूल्यांकन 1,47,119/- रू०** आंकलित कर न्यूनतम धनराशि से अधिक की कीमत पर नियमानुसार नीलामी करा कर अभिवहन शुल्क, कटान शुल्क व छपान धन पंजीकरण शुल्क क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज कार्यालय में जमा करने हेतु अवगत कराया गया है । जिससे नियमानुसार पातन अनुज्ञा वन विभाग द्वारा जारी की जा सके ।

समिति द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । विचार-विमर्श उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रिपोर्ट में उल्लिखित न्यूनतम नीलामी मूल्य (संलग्नक-1) से वर्तमान में बाजार मूल्य

एवं नीलामी स्पर्धा में अधिक मूल्य आने की संभावना है । ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न प्रजाति के उपरोक्त 36 वृक्षों की **पुनः नीलामी** कराये जाने हेतु उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त राजकीय विभागों के सूचना पटल के माध्यम से तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन करा कर किया जा सकता है, जिस हेतु नियम व शर्ते समिति द्वारा निम्नवत प्रस्तावित की जा रही हैं :-

सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने कुल 36 वृक्षों के पातन व नीलामी हेतु नियम व शर्तें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद न्यायालय अलीगढ़ के सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने विभिन्न प्रजाति के कुल 36 वृक्षों जिनमें सागौन के 15, नीम के 06, सेमल के 04, पापड़ी के 04, प्रोसोपिस का 01, पीपल के 02, पिलखुन का 01, लबेड़ा का 01, बेल का 01 व शहतूत का 01 के पातन के लिये नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही **दिनांक 28.05.2025 को सायं 04:30 बजे** जनपद न्यायालय अलीगढ़ परिसर के लाइब्रेरी भवन स्थित सभागार में की जायेगी । उक्त अयोग्य वृक्षों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता द्वारा केन्द्रीय नाजिर के सहयोग से समय **11:00 AM से 03:00 PM** के मध्य किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है । इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगा सकता है :–

1. प्रत्येक बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत धनराशि रु० 15,000/- (पन्द्रह हजार) केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर/कैशियर के पास नीलामी की तिथि को 11:00 PM से 02:00 PM तक जमा करनी होगी । यदि बोलीकर्ता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत नहीं होती है तो नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति उपरान्त जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी ।
2. आवंटी को पेड़ों की नीलामी की धनराशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना होगा :-
   (क) रूपये 15,000/- नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में) ।
   (ख) बोली की कुल धनराशि की 25% धनराशि बोली स्वीकृत के 24 घण्टे के अन्दर जमा करना होगा ।
   (ग) यदि आवंटी बोली की 25% धनराशि तय समय में जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त करने के साथ ही उपरोक्त 25% धनराशि शास्ति के तौर पर वसूल की जायेगी ।
   (घ) वृक्षों की कटाई आरम्भ करने से पूर्व सफल नीलामी–प्राप्तकर्ता को अनुमति–पत्र प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर समस्त शेष धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही वृक्षों का कटान व निकासी की जा सकती है । यदि वह समस्त शेष धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी कुल जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
3. क्रेता नियमानुसार आय कर एवं स्टाम्प शुल्क जमा करेगा ।
4. वृक्षों की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, अलीगढ़ में तथा कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी ।
5. सभी वृक्षों की कटाई, जड़ खुदान क्रेता द्वारा की जायेगी तथा जड़ खुदान के बाद क्रेता द्वारा गड्ढा बन्द करना होगा ।
6. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी–प्राप्तकर्ता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

7. नीलामी–प्राप्तकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम निकास अवधि तक उनके द्वारा किये गये कृत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की दशा में हुई क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।

8. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ी जायेगी ।

9. नीलामी की अन्तिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ का होगा।

10. माननीय जिला न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है ।

11. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड / पहचान पत्र व स्वप्रमाणित फोटो की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा ।

12. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, अलीगढ़ होगा ।

13. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में वृक्षों की नीलामी द्वारा विक्रय रद्द समझा जायेगा ।

तदानुसार, जनपद न्यायालय अलीगढ़ के सेशन हाउस की जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का पुनः निर्माण कार्य में बाधा बने विभिन्न प्रजाति के कुल 36 वृक्षों की नियमानुसार नीलामी किये जाने हेतु आज दिनांक 17.05.2025 का कार्यवृत्त माननीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है ।

17.5.25	17-5-25	17.05.2025
(संजय कुमार यादव-I)	(राकेश वशिष्ठ)	(सुभाष चन्द्रा-VIII)
सदस्य, नीलामी समिति /	सदस्य, नीलामी समिति /	अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)	अपर जिला जज, कोर्ट सं०-03,	विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अलीगढ़ ।	अलीगढ़ ।	अलीगढ़ ।

Approved

20/05/2025

Distt. & Sess's Judge
ALIGARH

Seen

21/5/25